

बिहार सरकार  
ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

संकल्प सं०:- 6191340, पटना, दिनांक :- 07.09.26

संचिका सं०-R-503/31/2021-SECTION 14-RDD-RDD (COM-149429)

मो० मोईनुद्दीन (अनुक्रमांक-109358), तत्कालीन निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत)-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, गड़खा (सारण) सम्प्रति- सहायक परियोजना पदाधिकारी, भोजपुर के विरुद्ध पंचायत आम निर्वाचन, 2021 में लापरवाही बरतने एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने के आरोप पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)-सह- जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा) के पत्रांक-4062/जि० दिनांक-14.12.2024 द्वारा आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया है।

जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा) से प्राप्त आरोप पत्र पर विभागीय पत्रांक-4683077 दिनांक-07.10.2025 द्वारा मो० मोईनुद्दीन से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। मो० मोईनुद्दीन द्वारा दिनांक-09.12.2025 को अपना स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया। मो० मोईनुद्दीन द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-5111026 दिनांक-27.01.2026 द्वारा जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा) से मंतव्य की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा) के पत्रांक-1848/पंचायत दिनांक-11.04.2026 द्वारा मंतव्य प्राप्त है।

मो० मोईनुद्दीन के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा) द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र, मो० मोईनुद्दीन द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा) द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी।

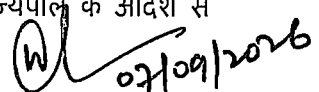
समीक्षोपरान्त पाया गया कि मो० मोईनुद्दीन द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है। मो० मोईनुद्दीन के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा) द्वारा प्रतिवेदित आरोप गंभीर प्रकृति के हैं जिसकी वृहत् एवं गहन जाँच की आवश्यकता है। तदालोक में मो० मोईनुद्दीन के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त के आलोक में मो० मोईनुद्दीन (अनुक्रमांक-109358), तत्कालीन निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत)-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, गड़खा (सारण) सम्प्रति- सहायक परियोजना पदाधिकारी, भोजपुर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु प्रमंडलीय आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा को संचालन पदाधिकारी एवं उपस्थापन पदाधिकारी नामित करने हेतु जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा) को निदेश दिया जाता है।

एतद् द्वारा मो० मोईनुद्दीन को आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति प्राप्त होने पर संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर जैसा कि संचालन पदाधिकारी आदेश दें अपना स्पष्टीकरण/लिखित बचाव बयान (साक्ष्य सहित) उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

विभागीय कार्यवाही संचालन के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।  
आदेश:- आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

  
(नलिन प्रताप राणा)

विशेष कार्य पदाधिकारी

अधिसूचना सं०:- 619/340 / पटना, दिनांक :- 07.09.26

संचिका सं०- R-503/31/2021-SECTION 14-RDD-RDD (COM-149429)

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में, सी०डी० सहित) बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 07/09/2026

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक:- 619/340 / पटना, दिनांक :- 07.09.26

संचिका सं०- R-503/31/2021-SECTION 14-RDD-RDD (COM-149429)

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा/जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा)/उप विकास आयुक्त, सारण (छपरा)/कोषागार पदाधिकारी, सारण (छपरा)/प्रभारी पदाधिकारी प्रशाखा-03, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ मो० मोईनुद्दीन (अनुक्रमांक-109358), तत्कालीन निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत)-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, गड़खा (सारण) सम्प्रति-सहायक परियोजना पदाधिकारी, भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संचालन पदाधिकारी को आरोप पत्र एवं संबंधित अभिलेख/कागजात की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विभागीय कार्यवाही तुरंत आरंभ कर दें तथा अपना प्रतिवेदन शीघ्र देंगे एवं कार्यवाही अभिलेख के साथ आदेश फलक संलग्न कर अपना निष्कर्ष तीन प्रतियों में विभाग/सरकार को प्रस्तुत करेंगे।

जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा) को पत्र की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि सरकार का पक्ष रखने हेतु वे जिला स्तर के किसी वरीय पदाधिकारी को उपस्थापन पदाधिकारी नामित करते हुए पत्र का तामिला कराकर विभागीय कार्यवाही में उपस्थित होने का निदेश देंगे।

 07/09/2026

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक:- 619/340 / पटना, दिनांक :- 07.09.26

संचिका सं०- R-503/31/2021-SECTION 14-RDD-RDD (COM-149429)

प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

 07/09/2026

विशेष कार्य पदाधिकारी